(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

मिसल नम्बर – 245/2024 GCMS नम्बर – 2024/.....

बाबत [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

दावागी

[illegible] आदि बनाम [illegible] आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/24	आज यह दावा वादी की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यालय टिप्पणी की गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत समन तलबाना पर जरिये नोटिस जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 9/1/2025 को पेश हो। [illegible]	
9/1/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं/अवकाश पर हैं। पत्रावली मय आवश्यकतानुसार दिनांक 17/3/25 को पेश हो। [signature]	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 7 की ओर से श्री सुरेश चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा / प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब / बहस कार्यवाही दिनांक 24/3/25 को पेश हो। [signature]	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] 7 की ओर से [illegible] निवेदन किया [illegible] 1 ने ग्राम टाणी [illegible] 40 [illegible] ख.नं. 146 रकबा 1.81 हे. व ख.नं. 88 रकबा 0.03 हे. के बारे में किया है। प्रति. संख्या 1 ने दिनांक 20/5/24	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:51:58 IST
Reason: SelfAttested

को अपने हिस्से मे से ख.नं. 118 व 85 की 1/3 हिस्से की भूमि प्रति संख्या 7 के हक मे विकास, प्रमोद पुत्र महेन्द्र सिंह के हक मे उपहार पत्र लिखकर उप-पंजीयक बुवानी के द्वारा तस्दीक करवा दिया। उपहार पत्र के आधार पर प्रति संख्या 7 विकास के हक में नामान्तरण भी तस्दीक हो चुका है। वादी ने यह दावा उपहार पत्र दिनांक 20/5/24 को निरस्त करवाने बाबत भी किया है। वादी ने वाद पत्र के खण्ड संख्या 9 व अनुतोष (ख) में उपहार पत्र को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया। क्योंकि वादी द्वारा [illegible] पत्र का जवाब पेश किया गया बताया की वाद वर्णित भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक अविभाजित संयुक्त खातेदारी हिन्दू परिवार की भूमि है। वादी ने अपने पिता प्रति संख्या 1 के जीवनकाल में ही इस भूमि का हित निहित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि की किसी पंजीकृत [illegible] उपहार पत्र, विक्रय पत्र [illegible] को निरस्त करने [illegible] को नहीं है। ऐसे [illegible] को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त, रवी स्तर क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:51:58 IST
Reason: SelfAttested

(नियम– 26)

अदालत...मुकाम...

....बनाम...

मुकदमा...मुकदमा नम्बर.................................सन्.........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
	खारिज किया जाता है। अत: मुन्सी सिविल न्यायालय में अत वाद पत्र पेश कर उपधर पत्र निरस्त करवाये। उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण/प्रति वादी प्रतिवादी संख्या 1,3 व 7 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दिनांक 18/3/2025 स्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा अत: प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1,3 व 7 का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दिनांक 18/3/2025 पोषणीय होने से स्वीकार कर हस्तगत वाद पत्र संख्या बहनकनी राजसिंह बनाम केकचन्द्र आदि को खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:51:58 IST
Reason: SelfAttested